कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/ 2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् अशोक कुमार यादव व्याख्याता, अंग्रेजी राबाउमावि. किशनगढबास, अलवर का स्थानांतरण राउमावि टहला, रामगढ, अलवर किया गया एवं इन्दु बाला व्याख्याता अंग्रेजी राउमावि नोगांवा, रामगढ, अलवर को राबाउमावि किशनगढबास, अलवर में पदस्थापित किया गया। अशोक कुमार यादव द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय मानीय सिविल सेव अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3371/2019 अशोक कुमार बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई। जिसमें दिनांक 14.11.2019 द्वारा अन्तरिम आदेशित किया गया है कि यदि अपीलार्थी ने नवीन पद पर कार्यग्रहण नहीं किया हो तो आदेश दिनाक 29.09.2019 अपीलार्थी के सम्बंध में आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।

अशोक कुमार यादव द्वारा कोर्ट स्टे के कारण पुनः उसी विद्यालय राबाउमावि किशनगढबास, अलवर में कार्यग्रहण कर लिया। इस प्रकार राबाउमावि किशनगढबास, अलवर में दोहरा पदस्थापन हो गया। दोहरे पदस्थापन के कारण अशोक कुमार यादव व्याख्याता, अंग्रेजी को राबाउमावि किशनगढबास अलवर में न्यायालय स्थगन तक यथावत एवं इन्दु बाला व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि भीमराज, बहरोड़, अलवर में पदस्थापित किया जाता है। यह आदेश अपील संख्या 3371/2019 के अन्तिम निर्णय के अद्याधीन रहेगा।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चत करें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं. 3371/अशोक कुमार यादव/2019/13 दिनांक : 27|11|19

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर